

प्रेषक

महानिदेशक,  
राज्य परिवहन हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

सेवा में,

2-


सभी महाप्रबन्धक,  
हरियाणा राज्य परिवहन,  
उड़नदस्ता अधिकारी,  
आई0एस0बी0टी0— दिल्ली/चण्डीगढ़।

क्रमांक 4215-39/टी0आई0-3  
दिनांक 03-09-2013

विषय:- हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में आरक्षित सीटें उपलब्ध करवाने व  
बैबेसाईट पर मोबाईल अंकित करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप को निर्देश जारी किये जाते हैं कि  
हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा आरक्षित की गई सीटों पर यात्रियों को सीटें  
उपलब्ध करवाने हेतु अपने अपने आगारों के चालकों/परिचालकों को आदेश जारी  
करें। सभी महाप्रबन्धक व यातायात प्रबन्धक अपने अपने लैण्डलाइन फोन नम्बर व  
परिवहन विभाग द्वारा जिन अधिकारियों को मोबाईल जारी किये हुये हैं, सभी फोन  
नम्बर परिवहन विभाग की बैबेसाईट पर अंकित करवाते हुये सभी बसों के अन्दर भी  
अंकित किया जाये। इस के अतिरिक्त सभी बस स्टैण्डों पर शिकायत पुस्तिका भी  
उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।  
आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाये।

सलंगन/प्रति

  
कृते: महानिदेशक,  
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ़।  
दिनांक 3/9/13

पृ० क्र०

/टी0आई0-3

इस की एक प्रति hardeep Singh < hardeep 0201 @ Yahoo. Co. in >  
को भेज कर अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा परिवहन की बसों में सीटें आरक्षित  
जहां से बस बन कर चलती है/केवल वहीं से सीटें आरक्षित की जाती है।

— sd —  
कृते: महानिदेशक,  
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ़।